दिल्ली विधान सभा

धार्मार्थ / शैक्षणिक संस्थाओं इत्यादि को भूमि आबंटित करने की समिति

प्रतिवेदन

(20 मार्च, 1996 को प्रस्तुत)

DELHI VIDHAN SABHA

COMMITTEE ON ALLOTMENT OF LAND TO CHARITABLE/ EDUCATIONAL INSTITUTIONS ETC.

REPORT

(PRESENTED ON 20 MARCH, 1996)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय, दिल्ली ।
DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT, DELHI

दिल्ली विधान सभा

धार्मार्थ / शैक्षिक संस्थाओं इत्यादि को भूमि आबंटित करने की समिति

समिति का गठन

1.	श्री राजेश शर्मा	सभापति
2.	श्री राम भज	सदस्य
3.	श्री नन्द किशोर गर्ग	सदस्य
4.	श्री महिन्द्र सिंह साथी	सदस्य
5.	श्री सूरज प्रसाद पालीवाल	सदस्य

सचिवालय

1.	पी. एन. गुप्ता	सचिव
2.	श्री एस. के. शर्मा	संयुक्त सचिव

धर्मार्थ/शैक्षणिक संस्थाओं आदि को भूमि आबंटित करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन

भूमिका

मैं, धर्मार्थ/शैक्षणिक संस्थाओं आदि को भूमि आबंटित करने संबंधी समिति का सभापति, समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किये जाने पर समिति की ओर से यह प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करता हूं ।

समिति का गठन श्री नन्द किशोर गर्ग द्वारा 24.3.1995 को प्रस्तुत एक गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा के परिणामस्वरूप तथा माननीय मुख्य मंत्री, श्री मदन लाल खुराना के एक सुझाव पर 29.3.1995 को किया गया था ।

समिति दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष तथा अधिकारियों द्वारा दिये सहयोग को तथा विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी उनके द्वारा समिति को विचार-विमर्श के दौरान तथा इस प्रतिवेदन को तैयार करने में दिये गये सहयोग की सराहना करती है ।

राजेश शर्मा
सभापति
धर्मार्थ/शैक्षणिक संस्थाओं आदि
को भूमि आबंटित करने संबंधी समिति
दिल्ली विधान सभा

दिल्ली,
18 मार्च, 1996.

दिल्ली विधान सभा

23 मार्च, 1994 को संपन्न सदन की बैठक में विधायक श्री नन्द किशोर गर्ग ने निम्नलिखित गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत किया था :-

" कि यह सदन सिफारिश करता है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विधालयों और महाविधालयों को रियायती दर पर भूमि दी जाए ।"

2. संकल्प पर बहस की प्रक्रिया के दौरान 25 मार्च, 1995 को सदस्यों के द्वारा इस अभिलेख के साथ संलग्न विभिन्न संशोधन प्रस्तुत किए गए थे । वाद-विवाद के अन्त में मुख्य मंत्री, श्री मदन लाल खुराना ने सुझाव दिया था कि सदन की 5-7 सदस्यों की एक समिति गठित की जाय जो इस मामले की गहराई में जाकर और अगले सत्र में इस मामले में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ।

3. तदनुसार, माननीय अध्यक्ष ने संकल्प के विभिन्न पहलुओ पर विचार करने हेतु 29 जून, 1995 को सदन की एक समिति गठित करने की अनुमति दी जिसमें निम्नलिखित सदस्यों को सम्मिलित किया गया :

1.	श्री राजेश शर्मा	अध्यक्ष
2.	श्री राम भज	सदस्य
3.	श्री नन्द किशोर गर्ग	सदस्य
4.	श्री महिन्द्र सिंह साथी	सदस्य
5.	श्री सूरज प्रसाद पालीवाल	सदस्य

4. समिति की पहली बैठक 10 जुलाई, 1995 को संपन्न हुई थी जिसमें सदस्यों को समिति के गठन की संक्षिप्त पृष्ठभूमि और इसके विचारणीय विषयों के बारे में जानकारी दी गई थी । समिति को माननीय उपराज्यपाल से अनुमोदन प्राप्त हो जाने के संबंध में भी सूचित किया गया । जिन्होंने अनुमोदन प्रदान करने के साथ-साथ निम्नलिखित टिप्पणी की थी :-

" दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और अन्य अधिकारीगण समिति के समक्ष सहर्ष उपस्थित होंगे ।"

5. 20.7.1995 को संपन्न समिति की अगली बैठक में दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष समिति के समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने सूचित किया कि क्षेत्रवार(जोनवाइज़) भूमि के मूल्य का निर्धारण 1989 से पहले प्रचलित नहीं था । उन्होंने समिति को यह भी सूचित किया कि 1989 तक "बिना लाभ-हानि" के आधार पर सरकारी विभागों को स्थानान्तरित भूमि पर प्रति एकड़ 13 लाख रूपए की दर से मूल्य लिया जाता था । जबकि सहायता प्राप्त संस्थाओं सहित स्थानीय निकायों द्वारा चलाई जा रही शैक्षणिक संस्थाओं से भूमि का मूल्य, " बिना लाभ-बिना हानि" के आधार पर 1981 में प्रचलित दर अर्थात् 10,000 रू. प्रति एकड़ भूमि की दर से यानि मूल्य का 25% वसूला जा रहा है जो 3.5 लाख रू. प्रति एकड़ बैठता है ।

2/-

6. वर्ष 1989 में क्षेत्रवार (जोन वाइज़) आधार पर नई मूल्य दर निर्धारित की गई थी तथा उस समय की दरें निम्न प्रकार थी :-

1.	केन्द्रीय दिल्ली	रू. 52 लाख प्रति एकड़
2.	दक्षिणी दिल्ली	रू. 39 लाख प्रति एकड़
3.	उत्तरी दिल्ली	रू. 32.50 लाख प्रति एकड़
4.	पश्चिमी दिल्ली	रू. 26 लाख प्रति एकड़
5.	पूर्वी दिल्ली	रू. 19.50 लाख प्रति एकड़
6.	बाहरी क्षेत्र में स्थित कलोनियां	रू. 16.25 लाख प्रति एकड़

1991 में निम्नलिखि रूप से दरों में संशोधन किया था :-

1.	केन्द्रीय दिल्ली	रू. 62.40 लाख प्रति एकड़
2.	दक्षिणी दिल्ली	रू. 46.80 लाख प्रति एकड़
3.	उत्तरी दिल्ली	रू. 38 लाख प्रति एकड़
4.	पश्चिमी दिल्ली	रू. 31 लाख प्रति एकड़
5.	पूर्वी दिल्ली	रू. 23.40 लाख प्रति एकड़
6.	बाहरी कॉलोनियां	रू. 19.50 लाख प्रति एकड़

7. 1991 में कुछ क्षेत्रों को जोड़कर दरों में पुनः संशोधि किया गया था

1.	केन्द्रीय दिल्ली और दक्षिण दिल्ली	रू. 70 लाख प्रति एकड़
2.	पश्चिम व उत्तरी दिल्ली	रू. 45 लाख प्रति एकड़
3.	पूर्वी तथा बाहरी कॉलोनियाँ	रू. 27.50 लाख प्रति एकड़

इनदरों को 1.4.92 की तिथि से पूर्वी पेक्षी प्रभाव से लागू किया गया था

8. 1994 में दरों पुनः निम्न प्रकार से वृद्धि की गईथी :-

1.	केन्द्रीय व दक्षिण दिल्ली	रू. 80 लाख प्रति एकड़
2.	पश्चिम व उत्तरी दिल्ली	रू. 45 लाख प्रति एकड़
3.	पूर्वी तथा बारी कॉलोनियाँ	रू. 35 लाख प्रति एकड़

9. समिति को बैठक में यह भी सूचित किया गया कि मूल्यों में (संशोधन) भारत सरकार द्वारा एकतरफा तौर पर किया गया था तथा वह दिल्ली विकास प्राधिकरण से कोई सिफारिशें नहीं मांगती है । वे दरें जो शैक्षिक एवं धमार्थ संस्थाओं के लिए निर्धारित की गई थी तथा जो दिनांक 1 अप्रैल, 1994 से प्रचलित है, इस प्रकार है

...3/-

1.	स्थानीय निकायों द्वारा चलाई जा रही चिकित्सा संस्थाओं के लिए भूमि	रू. 10.000/- प्रति एकड़
2.	स्थानीय निकायों, केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार द्वारा चलाई जाने वाली शैक्षणिक संस्थाओं के लिए भूमि	रू. 1 प्रति वर्ष के नाममात्र शुल्क पर ।
3.	सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के लिए भूमि	रू. 5 लाख प्रति एकड़ (सरकार से कर्मचारियों (स्टाफ) के आधार पर अपने वार्षिक व्यय का 95% तक का अनुदान ले रहे है)
4.	पूर्ण रूप से धर्मार्थ संस्थाओं जैसे धर्मार्थ अस्पतालों, अनाथालयों तथा विद्यालयों आदि के लिए भूमि	पहली बाद दो एकड़ जमीन के लिए 5 लाख रू. प्रति एकड़ तथा दो एकड़ से अधिक भूमि के लिए विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार संस्थाओं को दी जाने वाली भूमि की दर पर ।

10. कम दरों पर द्वारिका में इंजीनियरिंग कॉलिज को भूमि आबंटित करने के संबंध में समिति को यह सूचित किया गया कि इंजीनियरिंग कॉलिज शैक्षणिक संस्थाओं के अंतर्गत नहीं आते है बल्कि तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत आते है । समिति को यह भी सूचित किया गया कि विद्यालय की इमारतों के निर्माण हेतु निजी प्रबंधनों को भूमि आबंटन किए जाने का मानदण्ड का निर्धारण माननीय उपराज्यपाल की अध्यक्षता में दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों के साथ तथा सचिव (शिक्षा) तथा उनके सदस्यों द्वारा किया जाता है ।

दिनांक 20.7.1995 को हुई समिति के कार्यवाही सारांश के आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से यह अनुरोध किया गया कि वे निम्नलिखित तथ्यों पर एक संक्षिप्त नोट बनाएं । दिल्ली विकास प्राधिकरण के दिनांक 25.1.1996 के पत्र द्वारा प्राप्त हुई सूचना को निम्नलिखित वांछित सूचनाओं को सामने दर्शाया गया है :-

...5/-

§1§	विभिन्न श्रेणियों की शैक्षणिक/धर्मार्थ संस्थाओं आदि का नाम तथा प्रकृति जिन्हें वर्तमान में डी. डी. ए. द्वारा कम दरों पर भूमि आबंटित की जा रही है ।	कम दरों पर प्रायः अनुमति नहीं दी जाती है । आबंटन परिवर्तित क्षेत्रीय दरों पर किया जाता है, जिसका निर्णय समय-समय पर शहरी मामलों एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा किया जाता है ।
§2§	वह दर जिनपर इस तरह भूमि आबंटित की जा रही है ।	31. 3. 96 तक लागू सहित दिनांक 11. 11. 94 के § 9§ शहरी मामलों से संबद्ध मंत्रालय के परिपत्र की प्रतिलिपि संलग्न है ।
§3§	क्या इंजीनियरिंग कालेजों को शैक्षिक संस्था समझा जाता है तथा इस तरह क्या ये रियायती दरों पर भूमि के आबंटन के हकदार है ।	यदि इंजीनियरिंग कॉलेजों को भारत सरकार अथवा दिल्ली सरकार द्वारा प्रायोजित किया जाता है, तो उन्हें परिवर्तित क्षेत्रीय मूल्यों के आधार पर आबंटन के योग्य समझा जा सकता है ।
§4§	क्या ऐसा कोई उदाहरण देखने में आया है जब इन मूल्यों में पूर्व-पेक्षी प्रभाव से संशोधन §बदलावे§ किया गया हो और, यदि हाँ तो इसके क्या कारण है, तथा	मूल्यों को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा संशोधित/निर्धारित किया जाता है और सामान्य रूप से उन्हें पूर्व पेक्षी प्रभाव से दिया जाता है । इसके कारण सही तौर पर शहरी विकास मंत्रालय द्वारा ही बताए जा सकते है ।
§5§	उपरोक्त विषय पर किसी भी तरह की क्या कोई संबंधित सूचना है ।	यदि कोई अन्य सूचना अपेक्षित है तो वह कृपया मांगी जा सकती है ताकि उसे उपलब्ध कराया जा सके ।

11. समिति ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधियों से यह भी पूछा कि विभिन्न क्षेत्रों में दरें किस प्रकार तय की जाती है । समिति ने यह भी जानने की इच्छा व्यक्त की कि क्या यह कार्य दि. वि. प्रा. अथवा भारत सरकार द्वारा किया जाता है, क्या यह नौकरशाहों द्वारा ही निर्णीत किया जाता है अथवा इसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों की सलाह भी ली जाती है तथा सहायता प्राप्त व सहायता न प्राप्त करने वाले विधालयों को भूमि का आबंटन करने के संबंध में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच में इतना अधिक क्षेत्रीय अंतर क्यों होता है । वित्तीय सदस्य, दि. वि. प्रा. ने समिति को यह भी सूचित किया कि मूल्यों का निर्धारण करते समय भारत सरकार दि. वि. प्रा. से विभिन्न क्षेत्रों में भूमि के मूल्य की सूचना मांगती है । दि. वि. प्रा. तथा अन्य घटकों.

... 5/-

द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर भारत सरकार जिन मूल्यों को ठीक समझती है उसी के आधार पर दरें निर्धारित करती है ।

12. समिति ने दि. वि. प्रा. के प्रतिनिधियों से यह इच्छा प्रकट की कि वे भारत सरकार को यह संसूचित करें कि स्थानीय निकायों तथा दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे शैक्षिक संस्थाओ को भूमि आवंटित करने में जिस तरह का शुल्क वसूल किया जाता है, उसी तरह और उन्हीं शर्तों पर सहायता प्राप्त व गैर सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं को भी भूमि उपलब्ध कराई जानी चाहिए ।

सिफारिशें

1. हालाँकि भूमि एक आरक्षित विषय है तथा दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों मे भूमि के मूल्यो का निर्धारण भारत सरकार द्वारा, दि. वि. प्रा. की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है, फिर भी समिति यह सिफारिश करती है कि भूमि के मूल्यों का निर्धारण करते समय भारत सरकार को इस संबंध में संघीय सरकार से सिफारिश करने से पूर्व दिल्ली की निर्वाचित सरकार की सलाह भी लेनी चाहिए ।

2. स्थानीय निकायों, केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा चलाए जा रहे/शैक्षिणिक संस्थाओ पर लागू किये गए मूल्यो के साथ भूमि को सभी शैक्षिणिक संस्थाओं को समान रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।

/सरकारी सहायता प्राप्त

3. वांछित यही है कि दि. वि. प्रा. की भूमि के लिए आवेदन करने वाली धर्मार्थ संस्थाओ को सामान्य मूल्यों पर नही बल्कि रियायती मूल्यों पर भूमि आबंटित की जानी चाहिए ।

4. समिति को यह सूचित किया गया है कि एक से अधिक मौकों पर भारत सरकार ने दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में भूमि की वृद्धि कर दी है । यह समिति महसूस करती है कि यह अच्छी परंपरा नहीं है और तदनुसार यह सिफारिश करती है कि भविष्य में भूमि के संशोधित मूल्यों को बजाय पूर्व प्रभाव से भावी तिथि से निर्धारित किया जाना चाहिए ।

5. समिति सिफारिश करती है कि दिल्ली शासन द्वारा चलाए जा रहे सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज / दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज और दिल्ली कालेज ऑफ इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थानों, पालिटेक्निक्स तथा अन्य तकनीकी विद्यालयों को उसी दर पर भूमि आबंटित की जानी चाहिए जिस दर पर केन्द्रीय विद्यालयों संगठन और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार द्वारा चलाई जा रही शैक्षणिक संस्थाओं को भूमि आबंटित की जाती है ।

6. समिति आगे यह भी सिफारिश करती है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा मूल्य दर निर्धारित करते समय पूर्ण रूप से विकसित संभ्रांत कालोनियों/और उसी क्षेत्र में विकसित की गई कुछ झुग्गी झोपड़ी समूहों को ध्यान में रखा जाना चाहिए तदनुसार दो मूल्य दरें निर्धारित की जानी चाहिए ।

.....

दिल्ली
दिनांक 18 मार्च, 1996

राजेश शर्मा,
अध्यक्ष

COMMITTEE ON ALLOTMENT OF LAND TO CHARITABLE/ EDUCATIONAL INSTITUTIONS ETC.

CONSTITUTION OF THE COMMITTEE

!.	Shri Rajesh Sharma	Chairman
2.	Shri Ram Bhaj	Member
3.	Shri Nand Kishore Garg	Member
4.	Shri Mohinder Singh Saathi	Member
5.	Shri Suraj Prasad Paliwal	Member

SECRETARIAT

1.	Shri P.N. Gupta	Secretary
2.	Shri S.K. Sharma	Joint Secretary

REPORT OF THE COMMITTEE ON ALLOTMENT OF LAND TO CHARITABLE/EDUCATIONAL INSTITUTIONS ETC.

INTRODUCTION

I, the Chairman of the Committee on Allotment of Land to Charitable/Educational Institutions etc. having been authorised by the Committee to submit the report on their behalf, present its report to the House.

The Committee was constituted on 29.3.1995 consequential to discussion on a Private Member's Resolution moved by Shri Nand Kishore Garg on 24.3.1995 and on a suggestion made by Hon'ble Chief Minister, Shri Madan Lal Khurana.

The Committee expresses its deep appreciation for the cooperation extended by Vice-Chairman and Officers of DDA and also to the Officers and Staff of the Assembly Secretariat in helping the Committee in its deliberations and preparation of this report. The Committee adopted this report in its meeting held on 18th March,1996.

(RAJESH SHARMA)
Chairman
Committee on Allotment of Land
to Charitable/Educational
Institutions etc.,
Delhi Vidhan Sabha

Place: Delhi
Date: 18.03.1996.

DELHI VIDHAN SABHA

At the seating of the House held on 25th March, 1994, Shri Nand Kishore Garg, MLA, had moved the following Private Member Resolution:

"That this House recommends land for schools and colleges be given at concessional rates by DDA".

2. During the course of the debate on the resolution that took place on 25th March, 1995, several amendments were moved by members which are annexed with this report. At the end of the debate the Chief Minister, Shri Madan Lal Khurana suggested that a House Committee consisting of 5-7 members be constituted which may go into the matter and give its report in the next session.

3. Accordingly, Hon'ble Speaker was pleased to constitute on 29th June, 1995 a Committee of the House to go into the various aspects of the resolution, which consisted of the following members:

1.	Shri Rajesh Sharma	Chairman
2.	Shri Ram Bhaj	Member
3.	Shri Nand Kishore Garg	Member
4.	Shri Mohinder Singh Saathi	Member
5.	Shri Suraj Prasad Paliwal	Member

4. The first meeting of the Committee was held on 10th July, 1995 wherein the members were briefed about the background of the constitution of the Committee and its terms of reference. The Committee was also informed about the approval of Hon'ble Lt. Governor was obtained, who, while doing so, had inter alia observed as follows:

"The Vice-Chairman and other officers of DDA would be glad to appear before the Committee to brief it".

5. In the next meeting held on 20.7.1995 Vice-Chairman, DDA appeared before the Committee and informed that fixation of rates of Land, zone-wise, was not in vogue prior to 1989. He also informed the Committee that upto 1989, the land transferred to the Government Department was charged at the rate of Rs.13 lakh per acre on a "no-profit no-loss" basis. Whereas the rate of land for educational institutions run by local bodies continued to be charged on the rates of 1981 i.e. Rs.10,000/- per acre including aided institutions also at the rate of

1981 i.e. 25% of the price on "No-Loss No-Profit" basis and worked out to be Rs.3.5 lakh per acre.

6. The new rate fixation on Zonal basis was introduced in the year 1989 and the rates then were as follows:-

1.	Central Delhi	Rs.52 lakh per acre
2.	South Delhi	Rs.39 lakh per acre
3.	North Delhi	Rs.32.50 lakh per acre
4.	West Delhi	Rs.26 lakh per acre
5.	East Delhi	Rs.19.50 lakh per acre
6.	Outlying Colonies	Rs.16.25 lakh per acre

The rates were revised in 1991 as under:-

1.	CentralDelhi	Rs.62.40 lakh per acre
2.	South Delhi	Rs.46.80 lakh per acre
3.	North Delhi	Rs.38 lakh per acre
4.	West Delhi	Rs.31 lakh per acre
5.	East Delhi	Rs.23.40 lakh per acre
6.	Outlying colonies	Rs. 19.50 lakh per acre

7. The rates were again revised in 1992 by clubbing some of the zones and they were as under:-

1.	Central Delhi and South Delhi	Rs.70 lakh per acre
2.	West Delhi and North Delhi	Rs.45 lakh per acre
3.	East Delhi and Outlying colonies.	Rs.27.50 lakh per acre

8. The rates were increased in 1994 again and were as under:-

1.	Central Delhi and South Delhi	Rs.80 lakh per acre
2.	West Delhi and North Delhi	Rs.45 lakh per acre
3.	East Delhi and Outlying colonies	Rs.35 lakh per acre

9. The Committee was also informed in the meeting that rate revision is unilaterally done by Government of India and they do not call for any recommendations from DDA. The rates fixed for Educational and

Charitable Institutions and which are in vogue since 1 April, 1994 are as follows:-

1.	Land for Medical Inst. run by local bodies.	Rs.10,000 per acre
2.	Land for Educational Insts. run by local bodies, Kendriya Vidalaya Sangathan and by Govt. of N.C.T. of Delhi.	Nominal charges of Re.1/- per annum
3.	Land for aided educational Institutions.	Rs.5 lakh per acre (getting grant from Govt. to the extent of 95% of their annual expenditure on Staff).
4.	Land for entirely Chartiable institutions like charitable hospitals, orphanages and schools etc.	Rs.5 lakh per acre for first two acres and for land in excess of two acres at zonal varient institutional rates.

10. With regard to allotment of land to Engg. college at Dwarka at subsidised rates the Committee was informed that Engg. Colleges were not considered as Educational Institutions but were coming under Technical Education. The Committee was also informed that criteria for allotment of land to Private Managements for constution of school buildings is laid by a Land Allotment Committee under the Chairmanship of Hon'ble Lt. Governor with officers of DDA, MCD and Secretary (Edn.) as its members.

Based on the minutes of Committee held on 20.7.1995, vice-Chairman, DDA was requsted to furnish a brief note on the following points. The information received vide DDA's letter dated 25.1.1996 is shown in juxtaposition:

(i)	Names and nature of academic/ charitable etc. institutions of various categories to whom land at present is being allotted by DDA at subsidised rates;	Subsidised rates are normally not allowed. Allotment is made at zonal varient rates which are decided by Ministry of Urban Affairs and Employment from time to time.

(ii)	the rates at which the land is being so allotted;	A copy of the circular of MOUD dated 11.11.94, containing rates applicable upto 31.3.1996 is enclosed.
(iii)	Whether Engg. Colleges are treated as educational ints. and as such are entitled to land allotment at concessional rates;	Engg. Colleges, if sponsored by Government of India or Government of Delhi can be considered for allotment at the zonal Variant rates.
(iv)	Has there been any instance when the rates were revised with retrospective effect, and, if so, the reasons therefor; and	Rates are revised/decided by MOUD and are normally givenn with retrospective effect. Reasons for this can be best explained by MOUD.
(v)	Any other related information on the aforesaid subject.	Any other information i.e. required may kindly be asked for so that it can be provided.

11. The Committee enquired from DDA representatives as to the manner in which the rates are fixed in different zones. The Committee also desired to know whether this is done by DDA or the Government of India; whether they are decided by bureaucrats or there is also consultation with elected representatives and why there is so much of zonal variation in different rates from area to area as also regarding allotment of land to aided and unaided schools. The Finance Member, DDA informed the Committee that while fixing rates, the Government of India asks from DDA the information about the land price in various zones. Based on the information sent by DDA and considering other factors which the Government of India feels fit, the rates are decided.

12. The Committee desired the DDA representatives to convey to the Government of India that just as nominal charge is recovered for land allotted to educational institutions run by local bodies and Government of Delhi, likewise, on the same terms and conditions land should also be made available to aided and unaided educational institutions.

RECOMMENDATIONS

1. Although land is a reserved subject and the fixation of rates of land in various zones of Delhi is done by the Government of Indiaa on the recommendations of the DDA, the Comitee recommends that while fixing the rate of land, the Government of India should also consult the elected Government of Delhi before making recommendations in this regard to the Union Government.

2. Land should be made available to all the Govt aided Educational Institutions at par with rates applicable to Educational Institutions run by local bodies, Kendriya Vidyalaya Sanghathan and of N.C.T. of Delhi.

3. It is desirable that charitable institutions applying for land to DDA be given land not at the usual price but at subsidised rates. Accordingly, the Committee recommends that DDA should allot land to such-like institutions at reduced rates.

4. The Committee has been informed that on moe than one occasion Government of India has revised/enhanced the rates of land in various zones of Delhi with retrospective effect. This, Committee feels, is not a healthy practice and accordingly recommends that in future the revised land price should be fixed from a prospective date and not retrospectively.

5. The Committee recommends that the Government Engineering Colleges/Engineeringg Colleges run by DelhiGovernment like DIT or Delhi College of Engineering and Technical Institutes, Polytechnics and other Technical Schools may be allotted land at the same rate as is being charged for allotment of land to the educational institutions run by local bodies, Kendriya Vidyalaya Sangathan and by Government of NCT.

6. The Committee further recommends that while fixing the rates, the Central Governmet should keep in mind the variation of rates in a fully developed posh colony and a JJ Cluster or some regularised colony in the same zone. The two set of rates may be accordingly evolved.

(RAJESH SHARMA)
CHAIRMAN
Committee on Allotment Of Land
to Charitable/Educational Institutions etc.,
Delhi Vidhan Sabha